इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 438] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 सितम्बर 2014—भाद्र 27, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2014

क्र. डी-15-31-14-3-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम, 2000 में उन संशोधनों को जिन्हें राज्य सरकार, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (2) के खण्ड (इक्कीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम, 2000 में संशोधन करती है:—

उक्त नियम में,—

(1) नियम 9 के खण्ड (च) को यथावत् रखते हुए (च-एक) के स्थान पर निम्नानुसार नियम अन्त:स्थापित किया जाये अर्थात्:—

संशोधन

(च-एक) **निविदा प्राप्ति पद्धति.**—किसी भी लागत के निर्माण कार्यों की समस्त निविदायें ई-टेण्डरिंग पद्धति से आमंत्रित की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2014

क्र. डी-15-31-14-3-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 18 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 18th September 2014

No. D. 15-31-14-3-XIV-3.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (State Marketing Development Fund) Rules, 2000 which the State Government propose to amend the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (State Marketing Development Fund) Rules, 2000 in exercise of the powers conferred by clause (XXI) of sub-section (2) of Section 79 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), is here by published:—

In said Rule,—

(1) In place of Rule 9, clause (e) the following sub clause (C) as it is and the place of sub clause (C-1) shall be substituted namely:—

AMENDMENT

(C-1) **Tenders receiving system.**—All tenders shall be invited by e-tendering procedure for any cost of construction works.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.